भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-63

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

देश में समेकित विद्युत विकास योजना

***63. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और देश में इसके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत राजस्थान सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितना-कितना बजटीय आबंटन किया गया और कितनी निधि जारी की गई;

(ग) सरकार द्वारा कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों को कम करने तथा इस योजना के उद्देश्यों के अंतर्गत यथा उल्लिखित चौबीसो घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न शहरों में कार्यों के पूरा होने से संबंधित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

विवरण

"देश में समेकित विद्युत विकास योजना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (घ) : भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) शुरू की थी, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण, शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; आईटी सक्षमीकरण कार्य; उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी); स्मार्ट मीटरिंग; गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन (जीआईएस); और, रीयल टाईम डाटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटी-डीएएस) जैसी वितरण अवसंरचना परियोजनाएं निष्पादित की जाती हैं।

अब तक, यहां उल्लिखित परियोजना घटकों को शामिल करते हुए आईपीडीएस के अंतर्गत 30,802 करोड़ रुपये की परियोजनाएं [भारत सरकार के 19,322 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ] संस्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 16,717 करोड़ रुपये का भारत सरकार का अनुदान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिया गया है। राजस्थान राज्य सहित आईपीडीएस के अंतर्गत की गई राज्य-वार संस्वीकृतियां और संवितरण के ब्यौरे **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

आईपीडीएस के अंतर्गत, 33 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 547 सर्किलों को शामिल करते हुए प्रणाली सुदृढ़ीकरण और वितरण (एसटी एंड डी) परियोजनाएं शुरू की गई थीं। इनमें से, 544 सर्किलों में वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। आईपीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत पूर्ण किए गए प्रमुख कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति **अनुबंध-II** पर दी गई है।

आईपीडीएस के अंतर्गत, सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां कम करने के लिए शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण करने और वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग के लिए केंद्रीय वित्तपोषण किया जा रहा है। आईपीडीएस के अंतर्गत भूमिगत (यूजी) केबलिंग और एरियल बंच्ड (एबी) केबल और मीटरिंग के लिए भी निधियां संस्वीकृति की गईं हैं, जो एटीएंडसी हानियों को कम करने में सहायता करती हैं।

आईपीडीएस के अलावा, सरकार ने हाल ही में वितरण यूटिलिटियों के लिए एक सुधार आधारित परिणाम संबद्ध वितरण स्कीम और अतिरिक्त उधारियों के लिए एक स्कीम शुरू की है, इन दोनों ही स्कीमों से एटीएंडसी हानियों में कमी और विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता के क्षेत्रों में सुधार के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को जोड़ा गया है। सुधारों और वित्तीय प्रोत्साहनों को इस संबंध में अलंघनीय रूप से वितरण यूटीलिटियों और राज्यों को निधियां जारी करने से जोड़ा गया है।

राजस्थान के विभिन्न शहरों [अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेएवीवीएनएल) और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) डिस्कॉमों के अंतर्गत] को शामिल करते हुए आईपीडीएस के अंतर्गत पूरे किए गए कार्यों के ब्यौरे **अनुबंध-III** पर दिए गए हैं।

****

अनुबंध-I

“देश में समेकित विद्युत विकास योजना” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित अनुबंध।

****

आईपीडीएस के तहत स्वीकृत और संवितरित राशि का राज्यवार विवरण

(17.01.2022 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत लागत	भारत सरकार का अनुदान	भारत सरकार द्वारा अनुदान संवितरित
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31	19	10
2	आंध्र प्रदेश	879	529	501
3	अरूणाचल	159	135	107
4	असम	716	609	540
5	बिहार	3,125	1,881	1,427
6	छतीसगढ	619	373	318
7	दिल्ली	198	119	90
8	गोवा	84	51	44
9	गुजरात	1,067	642	650
10	हरियाणा	447	269	182
11	हिमाचल प्रदेश	190	162	127
12	जम्मू एवं कश्मीर / लद्दाख	472	402	341
13	झारखंड	768	462	380
14	कर्नाटक	1,358	818	753
15	केरल	659	397	392
16	महाराष्ट्र	2,551	1,536	1,299
17	मणिपुर	134	114	96
18	मेघालय	108	92	55
19	मिजोरम	111	95	82
20	मध्य प्रदेश	1,674	1,008	919
21	नागालैंड	135	115	100
22	ओडिशा	1,153	694	590
23	पुद्दुचेरी	22	13	9
24	पंजाब	457	275	236
25	राजस्थान	**1,550**	**933**	**782**
26	सिक्किम	161	137	92
27	तमिलनाडु	1,745	1,051	1,010
28	तेलंगाना	752	453	449
29	त्रिपुरा	221	188	134
30	उत्तर प्रदेश	5,472	3,294	2,940
31	उत्तराखंड	725	617	477
32	पश्चिम बंगाल	3,059	1,841	1,586
	कुल	**30,802**	**19,322**	**16,717**

****

अनुबंध-II

"देश में समेकित विद्युत विकास योजना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित अनुबंध।

****

आईपीडीएस के तहत पूरे किए गए प्रमुख कार्यों के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति

मदें (यूनिट)	**लक्ष्य (यूटीलिटियों द्वारा प्रदान की गई मात्रा)**	**उपलब्धि (यूटीलिटियों द्वारा निष्पादित मात्रा)**
नए विद्युत सब स्टेशन (सं.)	999	985
एचटी लाइनें (सीकेएम)	24,133	23,489
एलटी लाइनों (सीकेएम)	10,718	10,416
एबी केबिल (सीकेएम)	65,016	62,811
यूजी केबिल (सीकेएम)	21,894	20,588
रूफ टॉप सोलर पैनल (केडब्ल्यूपी)	46,500	45,725

(स्रोत: पीएफसी)

****

<u>अनुबंध-III</u>

“देश में समेकित विद्युत विकास योजना” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित अनुबंध।

****

राजस्थान में आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी कार्यान्वयन (एवीवीएनएल, जेएवीवीएनएल तथा जेडीवीवीएनएल)

राशि करोड़ रूपये में

1. प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा वितरण परियोजना (एसटीएंडडी)

राजस्थान डिस्कॉम के लिए आईपीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं के तहत सर्किल-वार वित्तीय स्थिति

क्र.सं.	यूटीलिटी का नाम	सर्किलों की सं. संस्वीकृत/पूर्ण	स्वीकृत लागत	भारत सरकार द्वारा अनुदान	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान
1	**एवीवीएनएल**	12/12	425	256	250
2	**जेएवीवीएनएल**	13/13	509	307	294
3	**जेडीवीवीएनएल**	10/10	382	230	213
	कुल	**35/35**	**1316**	**793**	**757**

(**स्रोत**: **पीएफसी**)

बीओक्यू (प्रमुख अवसंरचना कार्यों) वार आईपीडीएस 35 पूर्ण सर्किलों की वास्तविक प्रगति की स्थिति

ब्यौरे	**यूनिट**	**एवीवीएनएल**	**जेएवीवीएनएल**	**जेडीवीवीएनएल**	**कुल**
नए सब स्टेशन	सं.	49	37	41	127
सब स्टेशन संवर्धन	सं.	59	89	47	195
वितरण ट्रांसफार्मर	सं.	766	797	832	2395
एचटी लाइनें	सीकेएमएस	325	80	259	664
एलटी लाइनें	सीकेएमएस	16	22	43	81
एरियल बंच्ड केबिल्स	सीकेएमएस	31	33	15	79
यूजी केबिल्स	सीकेएमएस	483	1451	884	2817
सोलर पैनल	केडब्ल्यूपी	220	168	-	388

(**स्रोत**: **पीएफसी**)

2. जीआईएस सब स्टेशन परियोजना

क्र.सं.	**यूटीलिटी का नाम**	**सब स्टेशन की सं.**	**स्वीकृत लागत**	**भारत सरकार का अनुदान**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**
1	**जेएवीवीएनएल**	4	30	18	5

(**स्रोत**: **पीएफसी**)

3. स्मार्ट मीटरिंग परियोजना

क्र.सं.	**यूटीलिटी का नाम**	**स्वीकृत मीटर की संख्या**	**संस्थापित मीटर की संख्या**	**स्वीकृत लागत**	**भारत सरकार का अनुदान**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**
1	एवीवीएनएल	1,88,860	68,339	38	23	4
2	जेएवीवीएनएल	2,81,782	1,72,632	57	34	10
3	जेडीवीवीएनएल	97,158	55,735	20	12	2
	कुल	**5,67,800**	**2,96,706**	**114**	**69**	**16**

(**स्रोत**: **पीएफसी**)

4. आईटी फेज II

क्र.सं.	**यूटीलिटी का नाम**	**कस्बे**	**स्वीकृत लागत**	**भारत सरकार का अनुदान**	**भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान**	**स्थिति**
1	एवीवीएनएल	36	11	7	1	कार्य पूरा हुआ
2	जेडीवीवीएनएल	25	9	5	1	
	कुल	61	20	12	2	

(**स्रोत**: **पीएफसी**)

5. ईआरपी

क्र.सं.	यूटीलिटी का नाम	कस्बे	स्वीकृत लागत	भारत सरकार का अनुदान	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान
1	एवीवीएनएल	12	8	0.12	कार्य पूरा हुआ
2	जेएवीवीएनएल	22	13	0.27	
3	जेडीवीवीएनएल	22	13	0.10	
	कुल	56	34	0.49	

(स्रोत: पीएफसी)

6. आरटी-डीएएस

क्र.सं.	यूटीलिटी का नाम	स्वीकृत लागत	भारत सरकार का अनुदान	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान
1	जएवीवीएनएल	7	4	0.56
2	जेडीवीवीएनएल	6	4	0.54
	कुल	13	8	1.10

(स्रोत: पीएफसी)

आरएपीडीआरपी

1. भाग क आईटी

क्र.सं.	यूटीलिटी का नाम	कस्बों की सं.	स्वीकृत लागत	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण	भारत सरकार द्वारा जारी ऋण	स्थिति
1	एवीवीएनएल	30	53	53	16	कार्य पूरा हुआ
2	जेएवीवीएनएल	27	164	164	84	
3	जेडीवीवीएनएल	30	100	100	30	
	कुल	**87**	**316**	**316**	**130**	

(स्रोत: पीएफसी)

2. भाग क (स्काडा)

क्र.सं.	यूटीलिटी का नाम	कस्बों की सं.	स्वीकृत लागत	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण	भारत सरकार द्वारा जारी ऋण	स्थिति
1	एवीवीएनएल	1	7	7	6	कार्य पूरा हुआ
2	जेएवीवीएनएल	2	23	23	22	
3	जेडीवीवीएनएल	2	18	18	17	
	कुल	5	**48**	**48**	**45**	

(स्रोत: पीएफसी)

3. भाग ख

क्र.सं.	यूटीलिटी का नाम	कस्बों की सं.	स्वीकृत लागत	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण	भारत सरकार द्वारा जारी ऋण	स्थिति
1	एवीवीएनएल	30	371	93	93	कार्य पूरा हुआ
2	जेएवीवीएनएल	23	513	128	128	
3	जेडीवीवीएनएल	29	596	149	149	
	कुल	**82**	**1480**	**370**	**370**	

(स्रोत: पीएफसी)

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-791
जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत भार की तुलना में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की योजना

791. श्री नरेश बंसल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सौभाग्य योजना पूर्ण होने के बाद विद्युत की अधिकतम मांग के समय अपेक्षित विद्युत भार का राज्य-वार आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत की अधिकतम मांग के समय अनुमानित विद्युत भार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुमानित विद्युत भार को पूरा करने के लिए ग्रिड क्षमता पर्याप्त होगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उत्पादन और ग्रिड क्षमता को उसी हिसाब से बढ़ाने हेतु कोई योजना बनाई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : 19वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण (ईपीएस) रिपोर्ट में, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2016-17 से वर्ष 2026-27 तक के लिए विद्युत मांग प्रक्षेपण के साथ-साथ वर्ष 2031-32 और वर्ष 2036-37 के लिए संदर्श विद्युत मांग प्रक्षेपण को शामिल किया गया है। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 तक के लिए और संदर्श वर्षों 2031-32 और 2036-37 के लिए देश की अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता और व्यस्ततम कालीन मांग के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध** पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : भारत के पास मजबूत पारेषण ग्रिड क्षमता है। विद्युत ग्रिडों के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य को विद्युत का पारेषण किया जा सकता है। दिनांक 31.01.2022 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ग्रिड की संचयी अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 1,12,250 मेगावाट है, जिसने विद्युत ग्रिड में विद्युत का निर्बाध अंतरण सुनिश्चित किया है।

दिनांक 31.12.2021 तक की स्थिति के अनुसार, देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 393 गीगावाट थी। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.03.2030 तक, 19वें ईपीएस में प्रक्षेपित विद्युत की भावी मांग को पूरा करने के लिए, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 817 गीगावाट किए जाने की योजना है।

****

<u>अनुबंध</u>

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 791 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 तक और सदर्श वर्षों 2031-32 और 2036-37 के लिए देश की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता और व्यस्ततम कालीन मांग

विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता (एमयू में) (एक्स बस)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22*	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2031-32	2036-37
दिल्ली	26920	38997	40224	41557	42904	44267	51850	61085
हरियाणा	47540	66747	70333	75110	80239	85743	105853	126074
हिमाचल प्रदेश	10104	12360	12876	13417	13983	14576	17752	21745
जम्मू एवं कश्मीर	16431	19963	21161	22433	23795	25254	32445	38941
पंजाब	54710	76826	81369	86027	90789	95658	119111	143104
राजस्थान	73813	95782	101200	108808	117219	126290	161606	199552
उत्तर प्रदेश	109906	159412	167731	176477	185674	195323	234290	284645
उत्तराखंड	12920	20687	22029	23438	24920	26480	32487	38451
चंडीगढ़	1401	2388	2475	2566	2659	2756	3309	4020
गोवा	3697	5855	6120	6389	6660	6932	8170	9630
गुजरात	102592	144186	152475	160989	169732	178693	226797	274401
छत्तीसगढ	26070	40155	42661	45315	48146	51088	63714	76664
मध्य प्रदेश	69979	104772	109727	114765	120027	125394	154559	183762
महाराष्ट्र	141507	200288	211307	223171	235949	249628	308842	364213
दादरा एवं नगर हवेली हवेली	5689	9920	10513	11120	11741	12373	15627	18813
दमन और दीव	2149	2855	3006	3166	3337	3517	4331	5334
आंध्र प्रदेश	55902	84429	90794	97181	104072	111485	145148	180190
तेलंगाना	56241	88130	91836	95776	99945	104345	128412	158055
कर्नाटक	57410	90381	95042	99916	105017	110368	136480	161798
केरल	21733	32861	34393	35964	37582	39357	46788	55630
तमिलनाडु	90396	144145	152357	161349	170822	180989	217952	262507
पुद्दुचेरी	2421	3809	3959	4114	4279	4448	5368	6479
बिहार	30603	41208	43926	46735	50717	54363	68374	82978
झारखंड	9230	32209	33850	35544	37354	39252	47714	58001
ओडिशा	31797	33172	34163	35219	36326	37453	42903	49786
पश्चिम बंगाल	45356	72222	75264	78463	81915	85590	103722	125708
सिक्किम	489	669	702	737	773	810	952	1095
असम	9284	15164	16355	17631	18998	20462	26882	32906
मणिपुर	837	2300	2515	2760	3020	3300	4513	5773
मेघालय	1855	2667	2771	2900	3036	3177	3654	4218
नागालैंड	724	1200	1275	1356	1441	1524	1802	2086
त्रिपुरा	1338	1661	1731	1796	1866	1930	2301	2779
अरुणाचल प्रदेश	710	1669	1863	2081	2326	2601	4202	5814
मिजोरम	546	937	1013	1095	1181	1307	1760	2210
अंडमान और निकोबार	279	504	535	566	598	632	777	932
लक्षद्वीप	46	64	66	68	70	73	86	101
अखिल भारत	**1141941**	**1650594**	**1739618**	**1836001**	**1939111**	**2047434**	**2530531**	**3049478**

** टिप्पणी: वर्ष 2021-22 के दौरान वास्तविक ऊर्जा आवश्यकता (जनवरी, 2022 तक)*

व्यस्ततम कालीन विद्युत मांग (मेगावाट में) (एक्स बस)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22*	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2031-32	2036-37
दिल्ली	7323	7712	7954	8217	8482	8751	10139	11549
हरियाणा	12120	12819	13501	14415	15398	16451	20046	23486
हिमाचल प्रदेश	2030	1977	2059	2146	2236	2331	2895	3546
जम्मू और कश्मीर	3037	3332	3585	3859	4157	4482	5787	6839
पंजाब	13556	15654	16431	17217	18009	18809	23003	26732
राजस्थान	15752	15176	16048	17282	18651	20131	26575	34000
उत्तर प्रदेश	24965	25331	26658	28053	29522	31064	38885	48498
उत्तराखंड	2468	3420	3675	3945	4232	4538	5670	6712
चंडीगढ़	426	509	527	546	566	587	699	819
गोवा	646	904	951	999	1047	1096	1361	1604
गुजरात	19451	22730	24079	25471	26908	28387	37359	45201
छत्तीसगढ़	4878	6613	7050	7513	8006	8518	10783	12975
मध्य प्रदेश	15917	16445	17223	18014	18840	19682	25205	29968
महाराष्ट्र	25653	30725	32717	34911	37269	39828	50918	60047
डी एंड एन हवेली	871	1385	1483	1584	1689	1798	2486	3079
दमन और दीव	371	449	473	498	525	553	706	870
आंध्र प्रदेश	11570	12731	13690	14656	15698	16820	23223	29661
तेलंगाना	13622	15338	16086	16885	17738	18653	22951	27814
कर्नाटक	14158	15033	15834	16674	17554	18481	22979	27242
केरल	4261	5513	5770	6034	6305	6603	7972	9478
तमिलनाडु	16541	21471	22784	24225	25750	27392	34242	42409
पुदुचेरी	465	606	630	655	681	708	875	1057
बिहार	7154	7054	7521	8003	8681	9308	11944	14495
झारखंड	1808	5450	5733	6013	6326	6626	8155	9913
ओडिशा	5643	5517	5691	5878	6073	6273	7232	8392
पश्चिम बंगाल	9089	13318	13873	14435	15065	15680	18827	22461
सिक्किम	133	179	187	197	206	216	247	272
असम	2126	2979	3271	3590	3868	4166	5384	6367
मणिपुर	258	453	499	553	611	667	904	1117
मेघालय	408	508	528	552	578	605	699	781
नागालैंड	173	250	266	284	303	322	375	419
त्रिपुरा	328	411	432	452	474	495	570	659
अरुणाचल प्रदेश	197	309	345	386	431	482	774	1054
मिजोरम	157	185	199	213	229	252	338	411
अंडमान और निकोबार	60	103	109	115	122	129	153	177
लक्षद्वीप	11	12	12	13	13	13	16	18
अखिल भारतीय	**203014**	**238899**	**252288**	**266844**	**282418**	**298774**	**370462**	**447702**

** टिप्पणी: वर्ष 2021-22 के दौरान वास्तविक ऊर्जा आवश्यकता (जनवरी, 2022 तक)*

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-792
जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

कर्नाटक में तापीय विद्युत

792. श्री के. सी. राममूर्ति:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में मैंगलोर तापीय विद्युत संयंत्र को फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजना के तहत शामिल कर लिया गया है जिसकी अनुमानित क्षमता 1000 मेगावाट है;

(ख) इस संयंत्र की मौजूदा क्षमता कितनी है और आने वाले वर्षों में उपरोक्त विद्युत परियोजनाओं से विद्युत क्षमता में कितनी वृद्धि होगी;

(ग) एमटीपी में उत्पादन कब से शुरू होने का अनुमान है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा हरित ईंधन पर जोर देने के मद्देनजर कर्नाटक में जीवाश्म ईंधन के स्थान पर हरित ऊर्जा के उत्पादन के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस रहित गतिविधि है। कर्नाटक में मैंगलोर तापीय विद्युत संयंत्र को 1000 मेगावाट अनुमानित क्षमता उत्पादन के साथ फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत शुरू किया गया था। परियोजना को बाद में छोड़ दिया गया और चालू नहीं किया गया।

(घ) : सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऑटोमेटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति,
- 30 जून, 2025 तक चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों का अधित्याग,
- वर्ष 2022 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) हेतु ट्रेजेक्टरी की घोषणा,
- प्लग एवं प्ले आधार पर आरई विकासकर्ताओं को भूमि तथा पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना,
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम चरण-II आदि जैसी स्कीमें,
- नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता का सृजन,
- सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली/उपकरणों को लगाने के लिए मानकों की अधिसूचना,
- निवेशों को आकर्षित करने एवं सुकर बनाने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना,
- ग्रिड से जुड़ी सोलर पीवी एवं पवन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया हेतु मानक बोली दिशा-निर्देश,
- सरकार ने आदेश किए हैं कि आरई उत्पादकों को वितरण लाइसेंसियों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विद्युत साख पत्र (एलसी) अथवा अग्रिम भुगतान के निमित्त ही प्रेषित की जाएगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-793

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सीएसआर निधि

793. श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान सीएसआर निधि के अंतर्गत क्षेत्र-वार और मद-वार खर्च की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषरूप से बिहार सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन उपक्रमों में अभी भी कितनी सीएसआर निधि उपलब्ध है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा व्यय की गई सीएसआर निधियों के क्षेत्रों/शीर्षों के ब्यौरे **अनुबंध-क** पर संलग्न हैं।

(ख) : बिहार राज्य सहित राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-ख** पर संलग्न हैं।

(ग) : दिनांक 31.12.2021 तक की स्थिति के अनुसार, पीएफसी और आरईसी को छोड़कर विद्युत मंत्रालय के अधीन किसी अन्य पीएसयू की सीएसआर निधि अप्रयुक्त नहीं छोड़ी गई है, अभी भी पीएफसी तथा आरईसी के पास क्रमश: 95 करोड़ रूपये और 116.01 करोड़ रूपये शेष बचे हैं।

****

अनुबंध-क

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 793 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा व्यय की गई सीएसआर निधियों का क्षेत्रों/शीर्षों का विवरण

(करोड़ रूपये में)

एसजेवीएन:

क्षेत्र/शीर्ष	**वर्ष**		
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	7.33	10.60	7.58
शिक्षा एवं कौशल विकास	10.92	14.39	4.12
अवसंरचना विकास एवं सामुदायिक विकास	5.74	5.37	5.22
संस्कृति, विरासत और खेलों को बढ़ावा देना	1.65	2.68	3.69
सतत विकास	8.28	1.64	0.71
प्राकृतिक आपदाएं	5.00	1.00	9.96
कमजोर वर्ग का सशक्तीकरण	1.09	0.41	0.23
केंद्र द्वारा स्थापित निधियों में अंशदान	0.00	0.00	20.00
विविध	0.23	0.24	1.36
कुल व्यय	**40.25**	**36.35**	**52.87**

पीजीसीआईएल:

क्षेत्र/शीर्ष	**वर्ष**		
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**
ग्रामीण विकास एवं अवसंरचना	39.03	40.11	17.98
शिक्षा	10.74	43.54	27.09
कौशल विकास	5.61	1.75	10.21
स्वास्थ्य	29.04	188.97	141.56
पर्यावरण	17.27	10.84	2.13
स्वच्छता	79.86	46.29	28.78
विविध	13.96	14.71	12.73
कुल व्यय	195.51	346.21	240.48

नीपको:

क्षेत्र/शीर्ष	**वर्ष**		
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**
शिक्षा को बढ़ावा देना	0.60	2.73	1.49
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	0.64	3.34	4.78
स्वच्छ भारत अभियान	1.50	1.78	0.67
ईडीपी/कौशल विकास	0.04	0.87	0.07
अन्य पिछड़ा वर्ग/ग्रामीण क्षेत्र विकास	1.85	1.17	1.12
कुल व्यय	4.63	9.89	8.13

टीएचडीसी:

क्षेत्र/शीर्ष	वर्ष		
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**
शिक्षा को बढ़ावा देना	8.10	9.73	8.55
पीएमएनआरएफ इत्यादि में अंशदान	0.03	2.00	7.40
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	3.63	4.60	3.68
प्रशासनिक उपरिव्यय	0.65	1.07	0.56
आपदा प्रबंधन	0.00	0.16	1.54
ग्रामीण क्षेत्र विकास	3.54	1.19	0.61
खेल को बढ़ावा देना	0.09	0.08	0.01
लैंगिक समानता को बढ़ावा देना	0.22	0.32	0.18
पर्यावरण	0.40	0.40	0.12
सशस्त्र बलों के लिए उपाय	0.05	0.00	0.05
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति	0.81	2.06	0.41
कुल व्यय	17.52	21.61	23.11

एनटीपीसी:

क्षेत्र/शीर्ष	वर्ष		
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	31.49	22.96	268.71
शिक्षा एवं कौशल विकास	70.39	119.02	62.00
अवसंरचना विकास एवं सामुदायिक विकास	20.76	16.10	26.70
संस्कृति, विरासत और खेलों को बढ़ावा देना	04.72	5.79	2.41
सतत विकास	42.66	71.59	32.77
स्वच्छता	17.98	10.54	14.27
शारीरिक रूप से दिव्यांगों का सशक्तीकरण	1.41	1.88	1.44
जल	15.11	12.3	3.08
व्यवसायिक	16.56	3.86	0.95
महिला सशक्तीकरण	1.55	1.77	0.78
सड़क विकास	12.12	3.67	3.40
विविध/अन्य	50.71	35.45	2.34
कुल व्यय	285.46	304.93	418.85

एनएचपीसी:

क्षेत्र/शीर्ष	वर्ष		
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	4.10	41.71	13.70
शिक्षा	2.50	57.93	38.08
आपदा प्रबंधन	शून्य	शून्य	15.86
कला एवं संस्कृति	0.18	0.11	0.09
भवन क्षमता	0.08	6.14	3.73
खेल	0.28	0.43	0.02
एसबीए+एसवीए	4.81	6.75	3.74

सशस्त्र बल	शून्य	1.00	शून्य
पर्यावरण	0.55	3.31	0.93
महिला सशक्तीकरण	0.21	0.36	0.09
ग्रामीण विकास	4.87	8.68	3.38
आरक्षित निधि	शून्य	0.01	शून्य
कुल व्यय	17.58	126.43	79.62

पीएफसी:

क्षेत्र/शीर्ष	वर्ष		
	2020-21	**2019-20**	**2018-19**
ग्रामीण विकास एवं अवसंरचना	0.48	10.67	7.97
शिक्षा	13.09	18.77	0.14
कौशल विकास	2.82	4.44	16.79
स्वास्थ्य	220.53	6.08	2.23
पर्यावरण	8.17	21.49	16.9
स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पीने का पानी	11.69	11.88	8.18
अन्य	5.22	23.82	48.29
कुल व्यय	**262**	**97.15**	**100.5**

आरईसी:

क्षेत्र/शीर्ष	वर्ष		
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**
ग्रामीण विकास एवं अवसंरचना	19.62	22.54	22.02
शिक्षा	3.77	18.27	9.61
कौशल विकास	2.76	23.31	6.73
स्वास्थ्य	24.25	141.47	85.37
पर्यावरण	16.27	32.21	17.63
स्वच्छता	17.16	14.79	1.22
अन्य	15	1.05	0.63
प्रशासनिक उपरिव्यय	4.56	4.76	4.53
कुल व्यय	**103.39**	**258.4**	**147.77**

पोसोको:

क्षेत्र/शीर्ष	वर्ष		
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**
निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	1.05	0.88	1.02
शिक्षा	0.31	0.33	0.32
कुल व्यय	**1.36**	**1.21**	**1.34**

****

अनुबंध-ख

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 793 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा व्यय की गई सीएसआर निधियों का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रूपये में)

एसजेवीएन					
क्रम सं.	**राज्य**	**व्यय (करोड़ में)**			**कुल व्यय हुआ (करोड़ में)**
		2018-19	**2019-20**	**2020-21**	
1	**बिहार**	2.04	3.17	3.37	8.58
2	हिमाचल प्रदेश	27.73	29.71	23.64	81.07
3	उत्तराखंड	8.33	2.39	5.52	16.24
4	महाराष्ट्र	0.31	0.47	0.29	1.07
5	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.01	0.00	0.01
6	उत्तर प्रदेश	1.67	0.19	0.00	1.86
7	दिल्ली	0.07	0.03	20.05	20.15
8	हरियाणा	0.09	0.10	0.00	0.19
9	चंडीगढ़	0.01	0.27	0.00	0.28
	कुल	**40.25**	**36.35**	**52.86**	**129.46**

पावरग्रिड					
क्रम सं.	**राज्य**	**व्यय (करोड़ में)**			**कुल व्यय हुआ (करोड़ में)**
		2018-19	**2019-20**	**2020-21**	
1	आंध्र प्रदेश	5.53	3.32	2.44	11.29
2	अरुणाचल प्रदेश	0.28	1.36	0.00	1.64
3	असम	3.17	4.16	6.75	14.08
4	**बिहार**	**20.77**	**28.21**	**29.53**	**78.51**
5	छत्तीसगढ	2.82	2.61	2.46	7.89
6	गुजरात	2.34	1.82	5.51	9.67
7	हरियाणा	7.97	12.08	35.19	55.24
8	हिमाचल प्रदेश	6.40	4.22	3.26	13.88
9	जम्मू एवं कश्मीर	0.48	2.47	2.39	5.34
10	झारखंड	4.92	6.67	4.56	16.15
11	कर्नाटक	3.64	5.85	3.60	13.09
12	केरल	3.04	3.56	3.31	9.91
13	लेह	0.00	0	0.51	0.51
14	मध्य प्रदेश	2.85	2.81	4.26	9.92
15	महाराष्ट्र	9.75	18.26	12.76	40.77
16	मणिपुर	0.01	0.78	0.90	1.69
17	मेघालय	0.04	0.95	0.61	1.60
18	मिजोरम	0.02	0.05	0.11	0.18
19	नागालैंड	0.08	0	0.00	0.08
20	नई दिल्ली	15.24	0	0.00	15.24
21	ओडिशा	5.70	16.95	4.55	27.20
22	पंजाब	0.61	2.53	1.78	4.92

23	राजस्थान	4.33	5.49	5.49	15.31
24	सिक्किम	1.25	1.71	2.11	5.07
25	तेलंगाना	0.91	2.48	0.44	3.83
26	तमिलनाडु	0.18	1.47	3.51	5.16
27	उत्तर प्रदेश	33.72	23.06	11.30	68.08
28	उत्तराखंड	35.84	0.65	0.22	36.71
29	पश्चिम बंगाल	7.57	2.55	5.31	15.43
30	विभिन्न राज्यों में सीएसआर व्यय	16.05	190.13	87.62	293.80
	कुल	**195.51**	**346.21**	**240.48**	**782.20**

एनटीपीसी

क्रम सं.	राज्य	व्यय (करोड़ में)			कुल व्यय हुआ (करोड़ में)
		वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	
1	आंध्र प्रदेश	13.50	10.88	1.09	25.47
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.25	0.25
3	असम	1.11	0.04	0.00	1.15
4	**बिहार**	**14.49**	**9.35**	**7.48**	**31.32**
5	छत्तीसगढ	29.59	27.95	20.61	78.15
6	दिल्ली	6.54	3.98	5.62	16.14
7	गुजरात	4.11	2.67	1.73	8.51
8	हरियाणा	1.42	2.13	1.31	4.86
9	हिमाचल प्रदेश	0.19	0.42	0.49	1.1
10	जम्मू एवं कश्मीर	0.08	0.00	0.00	0.08
11	झारखंड	4.75	3.41	1.50	9.66
12	कर्नाटक	0.00	0.41	0.13	0.54
13	केरल	4.78	3.92	4.36	13.06
14	मध्य प्रदेश	12.52	13.49	7.16	33.17
15	महाराष्ट्र	21.18	7.54	4.98	33.7
16	एकाधिक स्थान	65.53	100.80	274.09	440.42
17	ओडिशा	23.84	43.48	21.75	89.07
18	पंजाब	0.00	0.00	0.11	0.11
19	राजस्थान	5.46	4.55	2.93	12.94
20	तमिलनाडु	0.17	0.04	0.00	0.21
21	तेलंगाना	17.75	10.67	7.64	36.06
22	उत्तर प्रदेश	54.56	54.22	48.52	157.3
23	उत्तराखंड	0.15	0.04	0.19	0.38
24	पश्चिम बंगाल	3.74	4.93	6.93	15.6
	कुल	**285.46**	**304.92**	**418.87**	**1009.25**

नीपको

क्रम सं.	राज्य	व्यय (करोड़ में)			कुल व्यय हुआ (करोड़ में)
		वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	
1	अरुणाचल प्रदेश	0.46	1.33	0.89	**2.68**
2	मेघालय	1.88	0.75	0.30	**2.93**
3	असम	1.38	3.16	3.90	**8.44**
4	त्रिपुरा	0.15	0.53	0.20	**0.87**
5	नागालैंड	0.31	1.39	0.71	**2.41**

6	मिजोरम	0.45	0.16	0.29	**0.90**
7	**बिहार**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
8	अखिल भारत	शून्य	2.57	1.84	**4.41**
	कुल	**4.63**	**9.89**	**8.13**	**22.64**
टीएचडीसी					
क्रम सं.	**राज्य**	**व्यय (करोड़ में)**			**कुल व्यय हुआ (करोड़ में)**
		वित्तीय वर्ष 2018-19	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	
1	उत्तराखंड	16.00	17.78	14.11	**50.15**
2	उत्तर प्रदेश	0.71	0.75	0.69	**2.15**
3	मध्य प्रदेश	0.06	0.02	0.3	**0.38**
4	**बिहार**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**0**
5	नई दिल्ली	0.08	2.00	7.45	**7.53**
6	प्रशासनिक शीर्ष	0.65	1.06	0.55	**2.26**
	कुल	**17.5**	**21.61**	**23.1**	**60.21**

एनएचपीसी					
क्रम सं.	**राज्य**	**व्यय (करोड़ में)**			
		वित्तीय वर्ष 2018-19	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**कुल**
1	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	3.69	10.42	20.76	**34.86**
2	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	0.00	1.06	0.31	**1.37**
3	हिमाचल प्रदेश	1.59	39.73	11.14	**52.46**
4	उत्तराखंड	0.45	5.83	5.36	**11.65**
5	पश्चिम बंगाल	0.75	3.32	3.97	**8.03**
6	सिक्किम	0.60	7.79	7.40	**15.79**
7	मणिपुर	0.78	4.89	3.73	**9.39**
8	असम	4.45	2.38	2.09	**8.92**
9	अरुणाचल प्रदेश	2.08	2.47	2.53	**7.07**
10	हरियाणा	0.35	7.14	4.35	**11.85**
11	दिल्ली	0.66	35.88	15.09	**51.63**
12	उत्तर प्रदेश	0.11	2.36	1.08	**3.55**
13	राजस्थान	0.00	0.41	0.02	**0.43**
14	**बिहार**	**2.07**	**2.75**	**0.36**	**5.18**
15	केरल	0.00	0.00	1.44	1.44
16	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.01	0.01
	कुल	**17.58**	**126.43**	**79.62**	**223.63**

पीएफसी					
क्रम सं.	**राज्य**	**व्यय (करोड़ में)**			**कुल व्यय हुआ (करोड़ में)**
		2018-19	**2019-20**	**2020-21**	
1	आंध्र प्रदेश	शून्य	4.6	1.56	6.16
2	अरुणाचल प्रदेश	2.73	शून्य	शून्य	2.73
3	**बिहार**	**12.73**	**11.83**	**0.63**	**25.19**
4	छत्तीसगढ़	0.27	5.77	शून्य	6.04
5	दिल्ली	1	2.93	3.75	7.68
6	गोवा	शून्य	1.5	0.7	2.2
7	गुजरात	शून्य	12.5	शून्य	12.5
8	हरियाणा	0.05	शून्य	शून्य	0.05

9	हिमाचल प्रदेश	0.39	1.02	0.16	1.57
10	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	0.04	1.16	1.2
11	झारखंड	42.49	8.44	0.11	51.04
12	केरल	शून्य	0.37	1.73	2.1
13	मध्य प्रदेश	1.46	शून्य	शून्य	1.46
14	महाराष्ट्र	0.25	4.2	0.95	5.4
15	मणिपुर	शून्य	शून्य	0.2	0.2
16	मिजोरम	शून्य	शून्य	1.19	1.19
17	ओडिशा	शून्य	0.3	शून्य	0.3
18	पंजाब	शून्य	4.62	12.95	17.57
19	राजस्थान	2.15	2.67	0.55	5.37
20	सिक्किम	शून्य	0.93	शून्य	0.93
21	तेलंगाना	1.26	5.33	4.44	11.03
22	उत्तराखंड	0.49	0.04	1.44	1.97
23	उत्तर प्रदेश	11.56	23.29	17.05	51.9
24	पेन इंडिया	18.38	2.74	208.58	229.7
25	अन्य/सीएसआर उपरिव्यय	5.29	4.03	4.85	14.17
	कुल	**100.50**	**97.15**	**262.00**	**459.65**

आरईसी					
क्रम सं.	**राज्य**	**व्यय (करोड़ में)**			**कुल व्यय हुआ (करोड़ में)**
		2018-19	**2019-20**	**2020-21**	
1	आंध्र प्रदेश	1.27	12.48	10.99	24.74
2	**बिहार**	**16.19**	**0.42**	**1.30**	**17.91**
3	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	0.83	0.83
4	दिल्ली	15.81	1.05	1.98	18.84
5	दादरा एवं नगर हवेली	शून्य	0.26	0.68	0.94
6	गुजरात	12.50	शून्य	शून्य	12.50
7	हरियाणा	2.54	1.53	0.71	4.78
8	हिमाचल प्रदेश	0.15	2.51	1.60	4.26
9	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	4.32	0.47	4.79
10	झारखंड	1.33	0.29	शून्य	1.62
11	कर्नाटक	1.84	10.47	3.56	15.86
12	केरल	शून्य	शून्य	0.81	0.81
13	लद्दाख	0.31	1.00	0.65	1.96
14	मध्य प्रदेश	3.48	8.74	1.28	13.50
15	महाराष्ट्र	शून्य	5.80	7.07	12.87
16	मणिपुर	0.59	6.21	1.88	8.68
17	मेघालय	1.65	शून्य	2.51	4.16
18	मिजोरम	0.01	9.31	0.59	9.91
19	नागालैंड	1.65	2.38	2.58	6.61
20	ओडिशा	0.07	10.72	4.15	14.94
21	पंजाब	0.29	1.43	1.21	2.93
22	राजस्थान	1.98	1.65	0.88	4.51
23	सिक्किम	शून्य	3.89	शून्य	3.89
24	तमिलनाडु	6.52	9.20	6.24	21.96
25	तेलंगाना	1.51	2.96	2.36	6.83
26	त्रिपुरा	शून्य	0.04	शून्य	0.04

27	उत्तर प्रदेश	8.07	12.36	3.65	24.08
28	उत्तराखंड	0.33	9.47	20.76	30.56
29	पश्चिम बंगाल	शून्य	0.14	0.89	1.03
30	अखिल भारतीय कार्यक्रम	20.76	134.99	63.61	220.10
31	अप्रत्यक्ष उपरिव्यय सहित अन्य	4.56	4.76	4.54	13.12
	कुल	**103.39**	**258.40**	**147.77**	**509.56**

पोसोको					
क्रम सं.	**राज्य**	**व्यय (करोड़ में)**			**कुल व्यय हुआ (करोड़ में)**
		2018-19	**2019-20**	**2020-21**	
1	**बिहार**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	कर्नाटक	शून्य	0.03	0.10	0.12
3	महाराष्ट्र	शून्य	0.05	0.16	0.21
4	महाराष्ट्र	शून्य	0.00	शून्य	0.01
5	मेघालय	शून्य	0.17	0.11	0.28
6	नई दिल्ली	0.32	0.34	0.08	0.69
7	पश्चिम बंगाल	शून्य	0.02	0.02	0.04
8	विभिन्न राज्यों में सीएसआर व्यय	1.04	0.60	0.87	2.49
	कुल	**1.36**	**1.21**	**1.34**	**3.91**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-794
जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

बिजली वितरण कंपनियों पर भुगतान का बकाया

794. श्री जवाहर सरकार:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का बिजली उत्पादकों पर कुल बकाया दिसंबर में बढ़कर 1,13,227 करोड़ रुपये हो गया है;

(ख) क्या बिजली आपूर्ति के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र, जिसके तहत विद्युत वितरण कंपनियों को साख पत्र (एलसी) की पेशकश करने की आवश्यकता होती है, संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है;

(ग) देय राशि के विलंब से भुगतान के लिए सरकार द्वारा दंडात्मक प्रभारों से छूट के संबंध में स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रूपये के चलनिधि पैकेज देने की घोषणा की थी, उसकी स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2021 तक की स्थिति के अनुसार विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन कंपनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) तथा नवीकरणीय उत्पादकों को कुल बकाया देय राशि 95,167 करोड़ रूपये है। विद्युत देय राशियों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** पर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) : साख पत्र (एलसी) इत्यादि के माध्यम से भुगतान सुरक्षा तंत्र, डिस्कॉमों और उत्पादक कंपनियों के बीच ज्यादातर विद्युत क्रय करारों (पीपीए) का अभिन्न हिस्सा होता है। सरकार द्वारा दिनांक 28 जून, 2019 के आदेश द्वारा इसे विद्युत के प्रेषण से जोड़ दिया गया था।

साख पत्र और विलंबित भुगतान प्रभार से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है:

1) विद्युत की संपूर्ण लागत के साथ पूर्व भुगतान करने अथवा साख पत्र (एलसी) देने की आवश्यकता को दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 30.06.2020 तक की अवधि के दौरान 50% तक शिथिल किया गया था। इस प्रकार, डिस्कॉमों से उनके द्वारा अपेक्षित निर्धारण हेतु

विद्युत की लागत के 50% के लिए या तो अग्रिम भुगतान करना अथवा एलसी देना अपेक्षित था: शेष 50% का भुगतान पीपीए में दी गई अवधि के भीतर किया जाना था, इसमें विफल रहने पर विलंबित भुगतान अधिभार लागू हो। यह राज्य उत्पादकों पर लागू नहीं था।

2) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने, अधिनियम की धारा 107 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप, इस आशय का आदेश जारी किया था कि यदि वितरण कंपनियों द्वारा उत्पादक कंपनियों और अंतर-राज्य पारेषण लाइसेंसधारकों को बिल प्रस्तुत करने की तिथि से 45 दिन बाद किया गया कोई विलंबित भुगतान दिनांक 24.03.2020 और दिनांक 30.06.2020 के बीच पड़ता है तो, संबंधित वितरण कंपनियां 12% प्रति वर्ष की घटी दर पर विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) सहित भुगतान करेंगी।

3) इसके अतिरिक्त, उच्चतर विलंबित भुगतान प्रभारों (15% से 18%) के कारण डिस्कॉमों पर वितीय दवाब को कम करने के लिए और उत्पादक कंपनियों के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए भी, सरकार ने, दिनांक 20.08.2020 को उत्पादक कंपनियों और पारेषण कंपनियों को सलाह दी है कि वे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 10 वर्ष तक की लंबी पुनर्भुगतान अवधि सहित रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) लिमिटेड तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड से लिक्विडिटी निषेचन स्कीम के अंतर्गत किए गए सभी भुगतान के लिए 1% प्रति माह से अधिक की दर से विलंबित भुगतान अधिभार प्रभारित न करें।

4) सरकार ने 22 फरवरी, 2021 को विद्युत (विलंबित भुगतान प्रभार) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं। विलंबित भुगतान प्रभार की देय राशियों को भारतीय स्टेक बैंक के एक वर्ष हेतु निधि आधारित उधारी दर की सीमांत लागत से जोड़ा गया है। इस प्रकार, इसका औचित्यीकरण कर दिया गया है।

(घ) : कोविड-19 के प्रादुर्भाव द्वारा खराब हुई, विद्युत क्षेत्र की लिक्विडिटी समस्याओं पर नियंत्रण पाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने दिनांक 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में लिक्विडिटी निषेचन स्कीम की घोषणा की। इस हस्तक्षेप के अंतर्गत, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) लिमिटेड तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड डिस्कॉमों को सीपीएसई जेनकोज एवं ट्रांसकोज, आईपीपीज तथा आरई उत्पादकों की बकाया देय राशियों (दिनांक 30.06.2020 तक की स्थिति के अनुसार) की लिक्विडेटिंग के लिए 10 वर्ष तक के लिए विशेष दीर्घावधि पारगमन ऋण प्रदान कर रहे हैं। अब तक, 1,35,497 करोड़ रूपये तक के ऋण पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और दिनांक 31.12.2021 तक की स्थिति के अनुसार 1.03 लाख करोड़ रूपये संवितरित किए गए हैं। दीर्घावधि पारगमन ऋणों के अंतर्गत संवितरण को विनिर्दिष्ट सुधार उपाय करने वाले डिस्कॉमों के साथ जोड़ा गया है।

****

<u>अनुबंध</u>

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 794 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

दिनांक 31.12.2021 तक की स्थिति के अनुसार जेनकोज का बकाया					
क्रम सं.	**राज्य**	**सीपीएसईज़**	**आईपीपीज**	**आरईज**	**कुल**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10	---	---	10
2	आंध्र प्रदेश	322	408	6,627	7357
3	अरुणाचल प्रदेश	---	---	---	0
4	असम	1	---	2	3
5	बिहार	0	553	33	586
6	चंडीगढ़	75	---	---	75
7	छत्तीसगढ़	11	65	24	100
8	दादरा और नगर हवेली	4	402	---	406
9	दमन और दीव	---	---	---	0
10	दिल्ली	748	5	---	753
11	गोवा	9	---	---	9
12	गुजरात	19	14	233	266
13	हरियाणा	229	1,449	---	1678
14	हिमाचल प्रदेश	4	1	---	5
15	जम्मू एवं कश्मीर	6,254	6	---	6260
16	झारखंड	2,328	---	---	2328
17	कर्नाटक	1,853	1,072	2,358	5283
18	केरल	134	397	---	531
19	लक्षद्वीप	---	---	---	0
20	मध्य प्रदेश	897	2,668	1,752	5317
21	महाराष्ट्र	411	16,640	1,689	18740
22	मणिपुर	69	---	---	69
23	मेघालय	514	---	---	514
24	मिजोरम	41	---	---	41
25	नागालैंड	6	---	---	6
26	ओडिशा	0	245	3	248
27	पुदुचेरी	43	---	---	43
28	पंजाब	63	1,075	133	1271
29	राजस्थान	501	9,214	1,291	11006
30	सिक्किम	39	---	---	39
31	तमिलनाडु	6,193	8,174	2,558	16925
32	तेलंगाना	785	2,955	2,429	6169
33	त्रिपुरा	224	---	---	224
34	उत्तर प्रदेश	632	7,749	15	8396
35	उत्तराखंड	5	---	---	5
36	पश्चिम बंगाल	66	437	1	504
	कुल	**22,490**	**53529**	**19148**	**95167**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-795

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

बिहार में बिजली संकट

795. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय पूल से बिहार के लिए बिजली का एनटीपीसी कोटा कितना है;

(ख) क्या बिहार को वर्ष 2021 में केंद्रीय पूल से बिजली का पूरा कोटा प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या बिहार को विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्रालय की कोई भावी योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : केन्द्रीय पूल में एनटीपीसी के ताप विद्युत स्टेशनों से बिहार को संयंत्र-वार शेयर आवंटन के ब्यौरों के साथ-साथ पात्रता के ब्यौरे तथा वर्ष 2021 (जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2021 की अवधि तक) में बिहार की निकासी अनुसूची के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय पूल में एनटीपीसी कोटे से 29808.789 मिलियन यूनिट्स (एमयू) की पात्रता के निमित्त, बिहार ने वर्ष 2021 (जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 की अवधि तक) के दौरान केवल 26627.305 मिलियन यूनिट्स (एमयू) प्राप्त की है।

(ग) : बिहार राज्य विद्युत (स्वामित्व) कंपनी लिमिटेड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार ने केन्द्रीय पूल तापीय, आईपीपीज, नवीकरणीय तथा जल विद्युत से 8342 मेगावाट का करार किया गया है जो इसकी वर्तमान मांग के साथ-साथ अगले 5 से 6 वर्षों की भावी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा बिहार को केन्द्रीय क्षेत्र के निर्माणाधीन ताप विद्युत संयंत्रों से विद्युत का आबंटन भी किया गया है, जिसके ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

****

<u>**अनुबंध-I**</u>

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 795 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

केन्द्रीय पूल में एनटीपीसी के ताप विद्युत स्टेशनों से बिहार को संयंत्र-वार शेयर आवंटन के ब्यौरों के साथ-साथ पात्रता का विवरण और वर्ष 2021 में (जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2021 की अवधि तक) बिहार की निकासी अनुसूची

एनटीपीसी के ताप स्टेशन		**बिहार को आबंटन**		**वर्ष 2021 के लिए (जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2021 तक की अवधि)**	
नाम	**कुल संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**	**(% में)**	**(मेगावाट में)**	**बिहार की पात्रता (मिलियन यूनिट में) (एमयू) (बार पर घोषित क्षमता के आधार पर)**	**बिहार की निकासी अनुसूची (मिलियन यूनिट में) (एमयू)**
फरक्का एसटीपीएस-I व II	1600	31.40	502.37	3327.335	2783.788
फरक्का एसटीपीएस-III	500	21.52	107.59	758.865	672.442
कहलगांव एसटीपीएस चरण-I	840	41.87	351.73	2319.484	2145.980
कहलगांव एसटीपीएस चरण-II	1500	4.98	74.70	531.303	501.127
तलचेर एसटीपीएस चरण-I	1000	41.25	412.45	2774.196	2701.504
बाढ़ एसटीपीएस चरण-I	660	60.91	401.98	390.126	314.915
बाढ़ एसटीपीएस चरण-II	1320	90.80	1198.60	8409.993	6835.259
भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड (बीआरबीसीएल)	1000	10.00	100.00	529.474	490.281
मुजफ्फरपुर टीपीएस (कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड) [केबीयूएनएल] चरण-II	390	74.97	292.39	2004.087	1742.926
नबीनगर विद्युत उत्पादन कंपनी (एनपीजीसी)	1320	84.77	1118.91	5603.654	5295.536
दार्लीपल्ली एसटीपीएस	1600	11.86	189.76	829.249	812.524
बरौनी टीपीएस चरण-I	210	100.00	210.00(*)	77.140	77.140
बरौनी टीपीएस चरण-II	500	100.00	500.00	1879.845	1879.845
मुजफ्फरपुर टीपीएस (कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड) [केबीयूएनएल] चरण-I	220	100.00	220.00 (**)	374.039	374.039
कुल:	**12660**		**5680.48**	**29808.789**	**26627.305**

<u>टिप्पणी</u>: (*) -यू#6 (105 मेगावाट) आरएंडएम के अधीन है।

(**) - पीपीए का कार्यकाल सितंबर, 2021 में पूरा हो चुका है। पीपीए का अब तक कोई विस्तार नहीं दिया गया है।

****

<u>अनुबंध-II</u>

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 795 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

निर्माणाधीन केंद्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्रों से बिहार को विद्युत का आवंटन

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**कुल क्षमता (मेगावाट)**	**बिहार को आबंटित (मेगावाट)**
1.	बाढ़ एसटीपीपी-चरण-I यूनिट 2,3 (2*660)	1320	348.67
2.	नॉर्थ करनपुरा यूनिट-1,2,3 (3*660)	1980	688.00
3.	नबी नगर एसटीपीपी यूनिट 3 (660)	660	457.80
	कुल		**1494.47**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-796

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर बिजली आपूर्ति के औसत घंटे

796. श्री तिरूची शिवा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विद्युतीकृत गांवों में प्रतिदिन निरंतर बिजली आपूर्ति के औसत घंटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) गांवों में निरंतर बिजली आपूर्ति के औसत घंटे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) 'नो पावर कट जोन' के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : देश में विद्युत उत्पादन क्षमता की पर्याप्त उपलब्धता है। स्वतंत्र सर्वेक्षणों के अनुसार, सर्वेक्षण किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता वर्ष 2015 में औसतन 12 घंटे से बढ़कर वर्ष 2020 में 20.50 घंटे हो गई है। जून, 2021 में, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की औसत उपलब्धता 22.17 घंटे थी। राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एनपीपी) पर विभिन्न यूटिलिटियों द्वारा संचारी फीडरों पर डाले गए आंकड़ों के आधार पर, विद्युत कटौती के ग्रामीण औसत घंटों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** पर दिए गए हैं।

विद्युत आपूर्ति में बाधाएं सामान्यतः वितरण नेटवर्क में बाधाओं, अथवा कुछ वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत के लिए भुगतान करने हेतु धनराशि न होने के कारण वित्तीय बाधाओं के कारण होती हैं। सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति/वितरण राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार सभी घरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) सहित अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करती रही है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित, उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और संवर्धन के लिए दिसंबर, 2014 में डीडीयूजीजेवाई स्कीम अधिसूचित की गई थी।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03.12.2014 को शहरी क्षेत्रों में विद्युत उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण के लिए आईपीडीएस स्कीम अधिसूचित की गई थी। आर-एपीडीआरपी (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) को आईपीडीएस के अंतर्गत समाहित किया गया था। विद्युत मंत्रालय ने वितरण कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता के साथ-साथ 24X7 विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से संशोधित वितरण सुधार स्कीम आरंभ की है।

****

<u>अनुबंध</u>

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 796 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एनपीपी पर यथा उपलब्ध पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में अक्तूबर, 2021 (एचएच.एच.एच.) तक एक वर्ष में विद्युत कटौती के राज्य-वार औसत घंटे									
दिनांक 28.01.2022 तक की स्थिति के अनुसार									
क्रम सं.	राज्य का नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (अक्तूबर, 21 तक)	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	आंध्र प्रदेश	687.42	12.17	134.20	30.50	121.67	36.50	76.37	23.32
2	अरुणाचल प्रदेश #$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.33	0.00	154.23
3	असम #$	0.00	97.33	0.00	73.2	0.00	0.00	0.00	66.32
4	बिहार	1015.92	0.00	786.90	317.20	772.58	225.08	779.65	94.02
5	छत्तीसगढ़	0.00	85.17	0.00	6.10	0.00	6.08	539.40	50.45
6	दिल्ली*							0.00	1.27
7	गोवा#$	0.00	0.00	0.00	457.50	0.00	97.33	0.00	53.39
8	गुजरात	79.08	18.25	323.30	18.30	97.33	18.25	46.63	12.39
9	हरियाणा	1599.92	261.58	1744.60	268.40	1478.25	219.00	1014.37	84.04
10	हिमाचल प्रदेश	2986.92	0.00	3056.10	54.90	2980.83	54.75	2562.55	19.90
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.08	0.00	257.64
12	झारखंड $	0.00	0.00	0.00	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13	कर्नाटक	2323.83	24.33	2482.70	61.00	1758.08	54.75	1082.40	26.64
14	केरल $	1015.92	0.00	744.20	6.10	1095.00	30.42	670.12	17.23
15	मध्य प्रदेश	243.33	109.50	353.80	54.90	492.75	24.33	228.20	23.50
16	महाराष्ट्र	0.00	18.25	1299.30	12.20	1107.17	6.08	277.15	4.16
17	मेघालय	0.00	18.25	0.00	6.10	0.00	24.33	0.00	18.65
18	मणिपुर #$							0.00	74.91
19	मिजोरम #	0.00	97.33	0.00	122.00	0.00	73.00	0.00	28.09
20	नागालैंड #$	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	462.33	0.00	88.81
21	ओडिशा $	1411.33	0.00	1457.90	128.10	997.67	54.75	29.38	58.96
22	पुदुचेरी $	693.50	0.00	1299.30	0.00	310.25	0.00	564.45	0.00
23	पंजाब $	267.67	79.08	305.00	103.70	511.00	85.17	302.40	79.26
24	राजस्थान	985.50	30.42	988.20	42.70	961.17	6.08	468.12	23.53
25	तमिलनाडु $	1180.17	0.00	1110.20	12.20	906.42	0.00	226.77	0.00
26	तेलंगाना	711.75	0.00	652.70	30.50	675.25	30.42	469.50	16.65
27	त्रिपुरा #$	1575.58	0.00	1628.70	0.00	1624.25	6.08	223.33	18.98
28	उत्तर प्रदेश $	1788.50	310.25	2549.80	158.60	2761.83	91.25	1749.57	92.00
29	उत्तराखंड	949.00	194.67	854.00	219.60	742.17	127.75	562.83	98.77
30	पश्चिम बंगाल $	2123.08	12.17	341.60	12.20	340.67	6.08	47.30	45.80

टिप्पणी 1 एनपीपी पर राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती आंकड़े। कटौती अवधि में नियोजित और अनियोजित कटौती अवधि दोनों शामिल हैं।

टिप्पणी 2 # केवल शहरी आंकड़े उपलब्ध हैं।

टिप्पणी 3$ राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अक्तूबर, 2021 तक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

टिप्पणी 4 सूची में शामिल नहीं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनपीपी पर मानचित्रित नहीं किया गया है।

टिप्पणी 5* दिल्ली को अप्रैल, 2021 में एनपीपी में शामिल किया गया है। अतः एनपीपी पर पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-797

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण

797. श्री नीरज डांगी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान राज्य सहित विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र में आरंभ की गई योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान देश में कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने जनगणना 2011 के अनुसार सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण; ग्रामीण क्षेत्रों में एचटी तथा एलटी लाइनों के निर्माण सहित, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों तथा उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा फीडर पृथक्करण और राजस्थान सहित पूरे देश के गांवों के विद्युतीकरण के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की थी।

सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत भी की गई थी। यह स्कीम देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने से संबंधित थी। दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, राज्यों द्वारा सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी। तत्पश्चात, सात राज्यों अर्थात असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने बताया कि, दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित, लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर, जो पहले अनिच्छुक थे, लेकिन बाद में उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है। इन सभी सात राज्यों ने दिनांक 31.03.2021 तक 100% घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य की शुरूआत से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

सौभाग्य स्कीम, जो अब बंद हो चुकी है, के तत्वावधान में राजस्थान में कुल 20,75,522 घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी गई है। राजस्थान के अनुरोध के आधार पर, जुलाई, 2021 में डीडीयूजीजेवाई नवीन के तहत विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत 2,10,843 अतिरिक्त घरों की तुलना में दिनांक 31.01.2022 तक की स्थिति के अनुसार 33,523 घर विद्युतीकृत किए जा चुके हैं।

इसके साथ-साथ, भारत सरकार ने दिसम्बर, 2014 में एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) शुरू की थी जिसके अंतर्गत विभिन्न वितरण अवसंरचना परियोजनाएं जैसे कि शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण; शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; आईटी सक्षमीकरण कार्य; उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी); स्मार्ट मीटरिंग; गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन (जीआईएस); और रीयल टाइम डाटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटी-डीएएस) आदि शामिल हैं।

अब तक, यहां उल्लिखित परियोजना घटकों को शामिल करते हुए आईपीडीएस के तहत 30,802 करोड़ रूपये [19,322 करोड़ रूपये के भारत सरकार (जीओआई) के अनुदान सहित] मूल्य की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं, जिसमें से 16,717 करोड़ रूपये का भारत सरकार का अनुदान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया है।

(ख) : डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और आईपीडीएस के तहत जारी की गई निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-I, II और III** पर दिए गए हैं।

(ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 28 अप्रैल, 2018 तक देश में सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, वर्ष 2014-15 की अवधि से दिनांक 28.04.2018 तक 18,374 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों के विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 797 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीवाई (आरई और अतिरिक्त इन्फ्रा सहित) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात 2018-19 से 2021-22 (31.12.2021 तक) के दौरान जारी की गई निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-22 (दिनांक 31.12.2021 तक)	जारी किया गया कुल अनुदान =क+ख+ग+घ
		जारी किया गया अनुदान (क)	जारी किया गया अनुदान (ख)	जारी किया गया अनुदान (ग)	जारी किया गया अनुदान (घ)	
1	आंध्र प्रदेश	177	8	8	12.84	206
2	अरुणाचल प्रदेश	160	37	32	14.46	243
3	असम	1,082	661	416	200.70	2360
4	बिहार	2,412	682	830	528.50	4453
5	छत्तीसगढ़	79	58	54	19.22	210
6	गुजरात	181	-	13	50.59	245
7	हरियाणा	22	50	5	37.01	114
8	हिमाचल प्रदेश	15	40	37	2.43	94
9	जम्मू और कश्मीर	527	65	35	-	627
10	झारखंड	1,362	610	355	33.57	2361
11	कर्नाटक	451	283	13	60.82	808
12	केरल	57	8	-	53.52	119
13	लद्दाख	15	24	-	-	39
14	मध्य प्रदेश	952	375	278	340.88	1946
15	महाराष्ट्र	482	225	158	21.35	886
16	मणिपुर	41	46	50	17.95	155
17	मेघालय	155	165	61	-	381
18	मिजोरम	35	16	5	5.11	61
19	नागालैंड	55	24	11	-	90
20	ओडिशा	1,369	330	122	59.11	1880
21	पंजाब	42	115	16	-	173
22	राजस्थान	1,246	273	116	117.83	1753
23	सिक्किम	21	9	28	-	58
24	तमिलनाडु	244	56	-	-	300
25	तेलंगाना	61	74	-	62.92	198
26	त्रिपुरा	112	47	48	51.37	258
27	उत्तर प्रदेश	3,560	946	1,661	717.63	6885
28	उत्तराखंड	270	269	5	0.12	544
29	पश्चिम बंगाल	1,281	261	149	81.91	1773
30	गोवा	3	7	-	-	10
31	डी एंड एन हवेली	1	-	-	1.58	3
32	पुदुचेरी	0	5	3	-	8
33	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	-	-	2	3.18	5
	कुल अनुदान	**16469**	**5767**	**4511**	**2494.6**	**29242**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 797 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सौभाग्य के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात 2018-19 से 2021-22 (31.12.2021 तक) के दौरान जारी की गई निधियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-22 (दिनांक 31.12.2021 तक)	जारी किया गया कुल अनुदान =क+ख+ग+घ
		जारी किया गया अनुदान (क)	जारी किया गया अनुदान (ख)	जारी किया गया अनुदान (ग)	जारी किया गया अनुदान (घ)	
1	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	139.	14.	-	-	152.65
3	असम	403.	121.	118.	-	642.08
4	बिहार	199.	136.	17.10	-	352.13
5	छत्तीसगढ़	219.00	32.	42.	38.12	331.19
6	गुजरात	-	-	-	-	-
7	हरियाणा	-	3.	-	-	2.98
8	हिमाचल प्रदेश	0.82	3.	-	-	3.71
9	जम्मू और कश्मीर	51.	-	-	-	51.43
10	झारखंड	83.	4.	60.	28.3	175.18
11	कर्नाटक	-	39.	-	0.28	39.66
12	केरल	-	26.	13.	11.75	51.14
13	लद्दाख	-	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	147.	-	6.	88.61	242.02
15	महाराष्ट्र	140.	43.	-	19.1	202.03
16	मणिपुर	35.	33.	12.	-	80.03
17	मेघालय	98.	88.	1.	0.11	187.00
18	मिजोरम	35.	-	6.	0.18	40.83
19	नागालैंड	34.	-	-	9.12	43.41
20	ओडिशा	168.	-	-	-	168.41
21	पंजाब	-	-	0.36	0.24	0.60
22	राजस्थान	103.	76.40	101.	25.95	306.26
23	सिक्किम	-	0.53	1.	0.23	1.91
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	-	15.	-	1.39	16.77
26	त्रिपुरा	237.	8.	0.27	14.74.	259.79
27	उत्तर प्रदेश	523.	26.	52.	116.61	717.29
28	उत्तराखंड	22.	7.	0.54	-	29.79
29	पश्चिम बंगाल	73.20	20.	16.	13.4	122.80
30	गोवा	-	-	-	-	-
31	डी एंड एन हवेली	-	-	-	-	-
32	पुदुचेरी	-	-	-	-	-
33	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-
	कुल अनुदान	2,709	696	448	368	4221.09

****

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 797 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

वर्तमान वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान आईपीडीएस स्कीम का संवितरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-2020	वित्तीय वर्ष 2020-2021	वित्तीय वर्ष 2022-2022	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	2	6	8
2	आंध्र प्रदेश	18	29	101	23	170
3	अरूणाचल	-	15	56	23	94
4	असम	-	273	75	40	387
5	बिहार	18	624	315	114	1,071
6	छत्तीसगढ़	1	23	169	56	248
7	दिल्ली	33	-	57	-	90
8	गोवा	0	11	13	17	42
9	गुजरात	120	112	84	-	316
10	हरियाणा	30	42	72	2	146
11	हिमाचल प्रदेश	21	60	18	17	115
12	जम्मू-कश्मीर/लद्दाख	-	58	228	17	303
13	झारखंड	160	-	75	13	247
14	कर्नाटक	350	49	91	64	554
15	केरल	0	19	225	39	284
16	महाराष्ट्र	81	740	110	11	942
17	मणिपुर	64	-	-	-	64
18	मेघालय	9	1	29	11	50
19	मिजोरम	3	5	5	57	70
20	मध्य प्रदेश	123	364	202	53	742
21	नागालैंड	8	74	-	7	89
22	ओडिशा	247	128	22	9	407
23	पुदुचेरी	4	-	5	-	9
24	पंजाब	20	120	42	5	187
25	राजस्थान	-	417	96	41	554
26	सिक्किम	9	15	-	67	91
27	तमिलनाडु	24	596	27	84	730
28	तेलंगाना	223	11	56	49	339
29	त्रिपुरा	6	24	85	5	120
30	उत्तर प्रदेश	1,008	111	303	166	1,588
31	उत्तराखंड	87	73	224	44	428
32	पश्चिम बंगाल	45	607	422	15	1,090
		2,713	**4,600**	**3,210**	**1,055**	11,578

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-798

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

रूफटॉप सोलर लक्ष्य

798. श्री संजय राउत:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 2022 तक देश में रूफटॉप सोलर लक्ष्य का केवल 20 प्रतिशत ही हासिल किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं को अपने घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड़) देश में रूफटॉप सौर परियोजना प्रणाली को बढ़ावा देने और इसके उचित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ड) : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) वर्ष 2022 तक केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से आवासीय क्षेत्र में कुल 4000 मेगावाट (एमडब्ल्यू) क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य के साथ रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II क्रियान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश दिनांक 20.08.2019 को जारी किए गए थे और उसके बाद राज्यों को क्षमता आबंटित की गई थी। राज्यों से प्राप्त मांग के आधार पर, 4000 मेगावाट की इस लक्षित क्षमता की तुलना में, राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों को लगभग 3160 मेगावाट क्षमता आबंटित कर दी गई है जिसमें से 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 1176 मेगावाट क्षमता संस्थापित किए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन कोविड-19 महामारी के कारण काफी प्रभावित हुआ है। मंत्रालय ने पहले ही कोविड-19 महामारी की पहली लहर के कारण पांच माह का विस्तार दिया है और कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अतिरिक्त, चार माह का विस्तार दिया है। कोविड-19 महामारी की इस समय चल रही तीसरी लहर ने प्रगति को पुन: प्रभावित किया है। तथापि, कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रदेय लक्षित लाभों में इसे प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जा रही है और तदनुसार, दिशा-निर्देश संशोधित किए जाते हैं। हाल ही में, एमएनआरई ने घरों के स्वामियों को स्वयं अथवा अपनी पसंद के किसी विक्रेता के माध्यम से रूफटॉप सौर संयंत्र संस्थापित करने की अनुमति देने के लिए रूफटॉप सौर कार्यक्रम के सरलीकरण की प्रक्रिया जारी की है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-799

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

गांवों में बिजली

799. डॉ. नरेन्द्र जाधव:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और देश में अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच हे कि गांवों के विद्युतीकरण के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्ताव लंबित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों में मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए खर्च की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की थी। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में 28 अप्रैल, 2018 को सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, वर्ष 2014-15 से दिनांक 28.04.2018 तक 18,374 आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की सूचना दी गई थी। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत किए गए गांवों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** पर दी गई है।

(ग) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, बीपीएल घरों को 1,27,68,620 विद्युत सेवा कनेक्शन (संस्थापना लागत स्कीम द्वारा वित्तपोषित) प्रदान किए गए थे। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

(घ) : विगत तीन वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, विद्युत कनेक्शन सहित संवितरित निधियों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-III** पर दिए गए हैं।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 799 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से दिनांक 28.04.2018 तक आवासित जनगणना गांवों का राज्य-वार विद्युतीकरण।

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	**18,374**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 799 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

बीपीएल घरों को विद्युत सेवा कनेक्शन (संख्या में) को वर्ष-वार निर्मुक्ति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार संचयी उपलब्धियां
1	आंध्र प्रदेश		416593	301200	11760	729553
2	अरुणाचल प्रदेश			1892	6399	8291
3	असम	22077	13	245999	514281	782370
4	बिहार	829336	779552	917057	859652	3385597
5	छत्तीसगढ़	38239	12373	78933	34006	163551
6	गुजरात			4440	620	5060
7	हरियाणा				5419	5419
8	हिमाचल प्रदेश				43	43
9	जम्मू एवं कश्मीर	420	713	97	52436	53666
10	झारखंड	6314	2687	158175	507998	675174
11	कर्नाटक	2735	89004	87018	190869	369626
12	केरल	15657	9097	108327	3112	136193
13	मध्य प्रदेश	146391	284748	272095	343899	1047133
14	महाराष्ट्र	59		4392	382047	386498
15	मणिपुर			2784	46015	48799
16	मेघालय	21	74	2544		2639
17	मिजोरम		447	285	1183	1915
18	नागालैंड	507		5223	54971	60701
19	ओडिशा	19477	42028	183685	1384305	1629495
20	पंजाब					
21	राजस्थान	8035	71643	166884	164042	410604
22	सिक्किम	1850			3421	5271
23	तमिलनाडु		1192	22297	7	23496
24	तेलंगाना			16909	522397	539306
25	त्रिपुरा	4435	23221	31416	22947	82019
26	उत्तर प्रदेश	337313	482521	1010062	297115	2127011
27	उत्तराखंड			46	7205	7251
28	पश्चिम बंगाल	6278	26857	30954	17850	81939
29	दादरा और नगर हवेली					
30	पुद्दुचेरी					
कुल		**1439144**	**2242763**	**3652714**	**5433999**	**12768620**

****

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 799 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत (बीपीएल घरों सहित) राज्य-वार तथा वर्ष-वार संवितरित अनुदान (करोड़ रूपये में)

क्रम सं.	राज्यों का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	आंध्र प्रदेश	177	8	8	194
2	अरुणाचल प्रदेश	160	37	32	228
3	असम	1082	661	416	2,159
4	बिहार	2412	682	830	3,924
5	छत्तीसगढ़	79	58	54	191
6	गुजरात	181	-	13	193
7	हरियाणा	22	50	5	77
8	हिमाचल प्रदेश	15	40	37	92
9	जम्मू एवं कश्मीर	527	65	35	627
10	झारखंड	1362	610	355	2,327
11	कर्नाटक	451	283	13	747
12	केरल	57	8	-	65
13	लद्दाख	15	24	-	39
14	मध्य प्रदेश	952	375	278	1,604
15	महाराष्ट्र	482	225	158	865
16	मणिपुर	41	46	50	136
17	मेघालय	155	165	61	380
18	मिजोरम	35	16	5	55
19	नागालैंड	55	24	11	90
20	ओडिशा	1369	330	122	1,821
21	पंजाब	42	115	16	173
22	राजस्थान	1246	273	116	1,636
23	सिक्किम	21	9	28	58
24	तमिलनाडु	244	56	-	300
25	तेलंगाना	61	74	-	135
26	त्रिपुरा	112	47	48	207
27	उत्तर प्रदेश	3560	946	1,661	6,168
28	उत्तराखंड	270	269	5	543
29	पश्चिम बंगाल	1281	261	149	1,691
30	गोवा	3	7	-	10
31	दादरा एवं नगर हवेली	1	-	-	1
32	पुद्दुचेरी	0	5	3	9
33	अंडमान एवं निकोबार	-	-	2	2
	कुल	**16,469**	**5,767**	**4,511**	**26,747**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-800

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2022 को दिया जाना है ।

विभिन्न राज्यों में बिजली की कटौती

800. श्री रामकुमार वर्मा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास बिजली कटौती के कुल घंटों का ब्यौरा है, यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक बिजली कटौती के प्रमुख कारण जान सकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने देश में बिजली कटौती या बिजली की किल्लत को कम करने के उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : देश में विद्युत की कोई कमी नहीं है। स्वतंत्र सर्वेक्षणों के अनुसार, सर्वेक्षण किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता वर्ष 2015 में औसतन 12 घंटे से बढ़कर वर्ष 2020 में 20.50 घंटे हो गई है; तथा शहरी क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता बढ़कर 22.23 घंटे हो गई है। जून, 2021 में, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की औसत उपलब्धता 22.17 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 23.36 घंटे थी। राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एनपीपी) पर विभिन्न यूटिलिटियों द्वारा संचारी फीडरों पर डाले गए आंकड़ों के आधार पर, विद्युत कटौती के औसत घंटों के शहर-वार ब्यौरे **अनुबंध** पर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : विद्युत आपूर्ति में बाधाएं सामान्यतः वितरण नेटवर्क में बाधाओं, अथवा कुछ वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत के लिए भुगतान करने हेतु धनराशि न होने के कारण वित्तीय बाधाओं के कारण होती हैं। सभी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति/वितरण संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार सभी घरों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) सहित अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करती रही है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित, उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और संवर्धन के लिए दिसंबर, 2014 में डीडीयूजीजेवाई स्कीम अधिसूचित की गई थी।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03.12.2014 को शहरी क्षेत्रों में विद्युत उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण के लिए आईपीडीएस स्कीम अधिसूचित की गई थी। आर-एपीडीआरपी (पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम) को आईपीडीएस के अंतर्गत समाहित किया गया था।

****

<u>अनुबंध</u>

राज्य सभा में दिनांक 08.02.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 800 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एनपीपी पर यथा उपलब्ध पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में अक्तूबर, 2021 (एचएच.एच.एच.) तक एक वर्ष में विद्युत कटौती के राज्य-वार औसत घंटे

दिनांक 28.01.2022 तक की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य का नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (अक्तूबर, 21 तक)	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	आंध्र प्रदेश	687.42	12.17	134.20	30.50	121.67	36.50	76.37	23.32
2	अरुणाचल प्रदेश #$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.33	0.00	154.23
3	असम #$	0.00	97.33	0.00	73.2	0.00	0.00	0.00	66.32
4	बिहार	1015.92	0.00	786.90	317.20	772.58	225.08	779.65	94.02
5	छत्तीसगढ़	0.00	85.17	0.00	6.10	0.00	6.08	539.40	50.45
6	दिल्ली*							0.00	1.27
7	गोवा#$	0.00	0.00	0.00	457.50	0.00	97.33	0.00	53.39
8	गुजरात	79.08	18.25	323.30	18.30	97.33	18.25	46.63	12.39
9	हरियाणा	1599.92	261.58	1744.60	268.40	1478.25	219.00	1014.37	84.04
10	हिमाचल प्रदेश	2986.92	0.00	3056.10	54.90	2980.83	54.75	2562.55	19.90
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.08	0.00	257.64
12	झारखंड $	0.00	0.00	0.00	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13	कर्नाटक	2323.83	24.33	2482.70	61.00	1758.08	54.75	1082.40	26.64
14	केरल $	1015.92	0.00	744.20	6.10	1095.00	30.42	670.12	17.23
15	मध्य प्रदेश	243.33	109.50	353.80	54.90	492.75	24.33	228.20	23.50
16	महाराष्ट्र	0.00	18.25	1299.30	12.20	1107.17	6.08	277.15	4.16
17	मेघालय	0.00	18.25	0.00	6.10	0.00	24.33	0.00	18.65
18	मणिपुर #$							0.00	74.91
19	मिजोरम #	0.00	97.33	0.00	122.00	0.00	73.00	0.00	28.09
20	नागालैंड #$	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	462.33	0.00	88.81
21	ओडिशा $	1411.33	0.00	1457.90	128.10	997.67	54.75	29.38	58.96
22	पुदुचेरी $	693.50	0.00	1299.30	0.00	310.25	0.00	564.45	0.00
23	पंजाब $	267.67	79.08	305.00	103.70	511.00	85.17	302.40	79.26
24	राजस्थान	985.50	30.42	988.20	42.70	961.17	6.08	468.12	23.53
25	तमिलनाडु $	1180.17	0.00	1110.20	12.20	906.42	0.00	226.77	0.00
26	तेलंगाना	711.75	0.00	652.70	30.50	675.25	30.42	469.50	16.65
27	त्रिपुरा #$	1575.58	0.00	1628.70	0.00	1624.25	6.08	223.33	18.98
28	उत्तर प्रदेश $	1788.50	310.25	2549.80	158.60	2761.83	91.25	1749.57	92.00
29	उत्तराखंड	949.00	194.67	854.00	219.60	742.17	127.75	562.83	98.77
30	पश्चिम बंगाल $	2123.08	12.17	341.60	12.20	340.67	6.08	47.30	45.80

टिप्पणी 1 एनपीपी पर राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती आंकड़े। कटौती अवधि में नियोजित और अनियोजित कटौती अवधि दोनों शामिल हैं।

टिप्पणी 2 # केवल शहरी आंकड़े उपलब्ध हैं।

टिप्पणी 3$ राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अक्तूबर, 2021 तक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

टिप्पणी 4 सूची में शामिल नहीं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनपीपी पर मानचित्रित नहीं किया गया है।

टिप्पणी 5* दिल्ली को अप्रैल, 2021 में एनपीपी में शामिल किया गया है। अतः एनपीपी पर पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

****